

## बहुसंस्कृतिवाद : भूमण्डलीकृत विश्व की सहअस्तित्व पूर्ण धारणा

डॉ० अमित कुमार राय

असिस्टेन्ट प्रोफेसर, इतिहास  
शिया पी०जी० कालेज, लखनऊ।

*बहुसंस्कृतिवाद (Multiculturalism)* या *सांस्कृतिक बहुलवाद (Cultural Pluralism)* वह विचार है, जिसके अनुसार एक ही समाज में विभिन्न सांस्कृतिक समूहों को अपना वैविध्य बनाए रखते हुए साथ-साथ रहने का मौका मिलना चाहिए। *बिल काइम्लिका (Will Kymlicka)* जैसे – बहुसंस्कृतिवाद के समर्थकों ने माना है कि, भारतीय समाज में यह प्रवृत्ति प्राचीन काल से रही है। यह सर्वविदित है कि, भारत में विभिन्न मत समूहों के लोग समन्वय एवं सौहार्द से रह रहे थे। पश्चिमी समाज के लिए यह नया विचार है, जो 20वीं शताब्दी में ही विकसित हुआ है।

20वीं सदी के आरंभ में *अर्थक्रियावाद (Pragmatism)* के समर्थकों विलियम जेम्स, जॉन ड्यूव तथा *चार्ल्स सैंडर्स पीयर्स* जैसे की बहुवाद की पृष्ठभूमि का निर्माण किया। जेम्स ने 1909 ई. में एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में उसने प्रथम बार 'बहुलवादी समाज' की धारणा स्पष्ट की। *जार्ज सांटायना* ने भी ऐसे ही विचारों का समर्थन किया।

लगभग इसी समय मानवशास्त्र (Anthropology) का तीव्र विकास हुआ जिसमें संस्कृति के अध्ययन से संबंधित नए-नए दृष्टिकोण उभरने लगे। एक दृष्टिकोण था 'स्वजातिकेंद्रवाद' (Ethnocentrism) जिसमें अध्ययनकर्ता अपनी संस्कृति को बेहतर मानकर उसके मूल्यों के आधार पर अन्य संस्कृतियों का मूल्यांकन करता था। इसका विरोधी दृष्टिकोण था 'परजातिकेंद्रवाद' (Xenocentricism) अर्थात् अन्य संस्कृति को बेहतर मानकर उसके दृष्टिकोण से अपनी संस्कृति का मूल्यांकन करना। धीरे-धीरे यह पाया गया कि ये दोनों दृष्टिकोण पूर्वाग्रहों पर आधारित हैं। यहां आकर एक नया दृष्टिकोण सांस्कृतिक सापेक्षवाद (Cultural Relativism) विकसित हुआ। इसमें माना गया कि हर संस्कृति अपने दृष्टिकोण से श्रेष्ठ होती है। उसका मूल्यांकन उसी के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण से यह विचार स्थापित हुआ कि विभिन्न संस्कृतियों में ऊँच-नीच का स्तरण नहीं है बल्कि सभी संस्कृतियाँ एक ही स्तर की हैं। यह दोनों वैचारिक आधार *बहुसंस्कृतिवाद (Multiculturalism)* की पृष्ठभूमि बने।

बहुसंस्कृतिवाद वह विचाराधारा है, जो बहुत सी संस्कृतियों के समुच्चय पर विचार करें। सामान्यतः बहु संस्कृतिवादी अवधारणा विश्व परिदृश्य पर प्रचारित की जाये, तब कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती और न ही समाधान का कोई प्रश्न ही उत्पन्न होता है। इतना ही नहीं, राष्ट्र की परिधियों में समेटा जाता है, तब बहु संस्कृति संबंधी अवधारणा प्रश्न पैदा करती है। विश्व फलक पर स्वभाविक है कि, विभिन्न देश और काल में संस्कृतियां उत्पन्न हुई और परंपरा के रूप में उनका संवहन हुआ।

वास्तव में बहुसंस्कृतिवाद का प्रश्न राष्ट्र की अवधारणा से सीधे टकराता है, जब राष्ट्रवादी विचार एकमात्र संस्कृति की पोषक बन जाती है। वास्तव में विश्व परिदृश्य में उपनिवेशवाद के अंत के पश्चात अर्थात् सन् 1960 में बहु संस्कृतियां राष्ट्र के समक्ष एक चुनौती के रूप में प्रस्तुत हुआ। यद्यपि अमेरिका अप्रवासियों का समाज है जिसने वहां बहु संस्कृति समाज का निर्माण किया है। सन् 1960 के दशक के दौरान जब अश्वेतों का आंदोलन चला तब बहु संस्कृतिवाद का प्रश्न मुखर होकर सामने आया। आस्ट्रेलिया में जब 70 के दशक में एशियाई देशों को सरकारी तौर पर स्वीकृति तथा कनाडा में फ्रेंच भाषा बोलने वाले क्यूबाई, तथा अंग्रेजी बोलने वाली बहुसंख्यक जनता और देशी इनपुट लोगों के मेल से बहुसंस्कृतिवाद का प्रश्न सामने आता है। यू.के. में माले और एशियाई लोग, श्वेत समाज में घुल-मिल गये तब बहुसंस्कृतिवाद की बातें सामने आती हैं।

बहुसंस्कृतिवाद तथा राष्ट्रीयता का संबंध एक जटिल संबंध है। अतिवाद राष्ट्रीय परंपरा, बहु संस्कृति परंपरा को सीधे चोट पहुंचाती है। बहुसंस्कृतिवाद को वास्तव में उदारवादी राष्ट्रीयता तथा उपनिवेश विरोध राष्ट्रीयता में व्यवस्थित किया जाता है। दोनों मान्यतायें राजनैतिक तथा नागरिक जीवन के साथ-साथ सांस्कृतिक जाति अस्तित्व को भी बनाये रखती हैं।

सामान्यता राष्ट्र के लोग एक संस्कृति और एक नागरिकता और राष्ट्रभक्ति से बंधे होते हैं जबकि उदारवाद में सैद्धांतिक रूप से बहुसंस्कृतिवाद के प्रति समर्थन दिखायी देता है, उदारवादी बहुसंस्कृतिवाद के मूल में स्वतंत्रता के प्रति वचनबद्धता और सहिष्णुता दिखायी देती है। सहिष्णुता मूलरूप से दोनों के लिए महत्वपूर्ण है (व्यक्तिगत तथा समाज के लिए)। व्यक्ति के लिए अपने नैतिक विश्वास के अनुसार, चयन की योग्यता, सांस्कृतिक व्यवहार तथा जीवन के दृष्टिकोण तथा स्वतंत्रता भी आवश्यक गारंटी देता है। सांस्कृतिक स्तर पर सहिष्णुता का नकारात्मक पक्ष ग्रहण नहीं करना चाहिए बल्कि बहुसंस्कृति को 'जीयो और जीने दो' के आधार पर परिभाषित करना चाहिए। प्रसिद्ध विचारक जे. एस. मिश्र का विश्वास था, कि सहिष्णुता विविधता उत्पन्न करने में अतिरिक्त लाभ (सहयोग) देता है।

यह दोनों चीजें समाज को ओजस्वी और स्वस्थ समाज बनाने में सहायक है क्योंकि यह वाद-विवाद के द्वारा प्रगति को सुनिश्चित करता है।

बहुसंस्कृतिवाद, सकारात्मक सहिष्णुता की आधुनिक नैतिकता से सुसज्जित होती है। आधुनिक नैतिकता इसमें सांप्रदायिक विविधता की स्वीकार्य नहीं है। लेकिन सकारात्मक रूप से यह सभी जीवन्तता और संवर्द्धनता का स्वागत करता है। उदारवाद तथा बहुसंस्कृतिवाद आंतरिक रूप से पूर्णतया संगत नहीं है। पहली बात व्यक्तिवाद उदारवाद का मूल सिद्धान्त है। यह स्वभावतः बहुसंस्कृतिवाद का विरोधी सिद्धान्त बन जायेगा क्योंकि यह व्यक्तिगत अस्तित्व को प्राथमिक महत्व के रूप में बल देता है। यह किसी भी सामूहिक जाति और भाषा के आधार पर विविधता से परे चला जाता है। दूसरा उदारवाद इस अर्थ में सार्वभौमिक है क्योंकि यह मूल नैतिकता को प्राथमिकता देती है, जिसमें स्वतंत्रता एवं सहिष्णुता स्पष्ट रूप से है। दूसरे शब्दों में, उदारवाद अच्छे जीवन के लिए व्यक्ति संप्रत्यय को स्वीकृत करता है, जिसमें वयैक्तिक स्वायत्ता एवं विकल्पों की स्वतंत्रता व्यक्ति के स्व विकास की प्राथमिक शर्त कही जा सकती है।

उदारवादी सहिष्णुता को धैर्यपूर्वक स्वीकार्य करने की ओर अग्रसर होते हैं। लेकिन उनके लिए असहिष्णुता या अनुदारवादी सांस्कृतिक विश्वासों और व्यवहार को सहन करना मुश्किल होता है जैसे – 'महिला वस्त्र कोड' ऐसी संस्कृति सहन नहीं कर पाते। बहुसंस्कृतिवादी अक्सर उदारवादी सहिष्णुता को सांस्कृतिक साम्राज्यवाद से ज्यादा कुछ नहीं मानते अर्थात् पाश्चात्य विश्वास, मूल्य और मान्यताओं को संपूर्ण संसार पर थोपने का प्रयास करते हैं। बहुसंस्कृतिवाद के सिद्धान्त के लिए सुदृढ़ नींव बहुलतावादी मूल्यों के विचारों में पायी जा सकती है। प्रो. आई. बर्लिन ने बहुलतावादी सिद्धान्त को विकसित किया, जिसे बहुत सी संस्कृतियों में प्रयोग किया जाता है। बर्लिन के अनुसार बहुलवाद, बहुसंस्कृति मूलक समाज की उपज नहीं है बल्कि बहुसंस्कृतिवाद 'जीयो और जीने दो' का भाव सिखाता है। फिर भी बर्लिन का विचार बहु संस्कृति के विचार में तनाव देखा जा सकता है। इस प्रकार बर्लिन का सिद्धान्त पूर्ण सिद्धान्त नहीं है। क्योंकि बर्लिन के मत से यह स्पष्ट नहीं होता, कि उदारवादी सांस्कृतिक विश्वासों के सहअस्तित्व के साथ पूर्ण सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाये।

### संस्कृतियों के पारस्परिक संबंध

यदि किसी स्थान पर एक से अधिक संस्कृतियाँ साथ-साथ रहती हैं तो उनके पारस्परिक संबंध तीन प्रकार के हो सकते हैं—

(क) एकसंस्कृतिवाद (Monoculturalism) – यह वह विचारधारा है, जो एक संस्कृति को बाकी सभी से श्रेष्ठ मानती है व सांस्कृतिक वैविध्य की जगह समरूपता (Homogeneity) पर बल देती है। इसकी स्पष्ट धारणा है कि, अल्पसंख्यक सांस्कृतिक समूहों को अपनी पृथक पहचान छोड़कर बहुसंख्यकों की संस्कृति में *आत्मसात् (Assimilate)* हो जाना चाहिए। पश्चिम में 19वीं सदी तक प्रायः यही विचारधारा दिखती है, क्योंकि मध्यकाल में विभिन्न धर्मों में श्रेष्ठता का संघर्ष चलता रहा तो 19वीं सदी में राष्ट्र-राज्य की धारणा इसी विचार को बढ़ाती रही। राष्ट्र-राज्य की धारणा में माना गया कि एक सांस्कृतिक समूह के लोग ही एक राष्ट्र बन सकते हैं चाहे इनकी एकता धर्म पर आधारित हो, नस्ल पर या भाषा पर। यह विचार इजराइल, सऊदी अरब तथा पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों में भी दिखाई पड़ता है क्योंकि ये देश सभी धर्मों की विचारधारा में निहित *धार्मिक व्यावर्तवाद (Religious exclusivism)* का समर्थन करते हैं। जापान व दक्षिण कोरिया भी एक संस्कृतिवाद (Monoculturalism) के उदाहरण हैं क्योंकि इन देशों में मंगोलॉयड नस्ल को राष्ट्रीय एकता का आधार माना गया है व गैर-मंगोलॉयड नस्ल को अषुद्ध (Polluted) माना जाता है।

(ख) गलन पात्र संस्कृति (Melting pot culture) – विभिन्न संस्कृतियों के पारस्परिक संबंध का दूसरा विकल्प अमेरिका में दिखता है जो एकसंस्कृतिवाद व बहुसंस्कृतिवाद के बीच में है। इसे *गलन पात्र संस्कृति (Melting pot culture)* कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि, विभिन्न देशों के मूल निवासी जब अमेरिका में बसे तो उनके सामने सांस्कृतिक समरूपता के अभाव की भी समस्या थी। इसके उत्तर में सभी समूहों ने अपनी-अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं को छोड़कर उस सामान्य संस्कृति को अपना लिया जिसे अमेरिकी संस्कृति कहा जाता है। गलन पात्र एक रूपक है जिसका अर्थ है कि सभी समूहों ने अपनी-अपनी सांस्कृतिक विशेषताएँ एक पात्र में डाल दीं व जब वे सब विशेषताएँ गलकर एक बन गईं तो उसे ही अमेरिकी संस्कृति कह दिया गया। ध्यातव्य है कि, अमेरिकी संस्कृति अंततः एकसंस्कृतिवाद के ही नजदीक है क्योंकि इसमें भी सांस्कृतिक समरूपता पर ही बल दिया गया है। वैसे भी कई लोग आक्षेप करते हैं कि, *गलन पात्र* में सिर्फ आंग्ल भाषी यूरोपीय लोगों की ही संस्कृतियाँ शामिल की गई हैं, अमेरिका के मूल आदिवासियों तथा गैर-यूरोपीय आप्रवासियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

(ग) बहुसंस्कृतिवाद (Multiculturalism) – यह तीसरा विकल्प है, यह विभिन्न संस्कृतियों के सहअस्तित्व की स्थिति में पैदा होता है। इसमें सांस्कृतिक वैविध्य का समस्या नहीं अपितु समाज की संपत्ति या विरासत माना जाता है व उसकी रक्षा की जाती है। ऐसे समाजों में विभिन्न समूहों का अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं को बनाए रखने की पूरी आजादी दी जाती है। भारत सदा से इसका उदाहरण है। पश्चिमी जगत में 1970 के बाद यह नीति दिखाई पड़ती है। वस्तुतः 19वीं सदी में हीगेल, नीत्शे व

बर्नहार्डी जैसे विचारकों ने एकसंस्कृतिवादी (*Monoculturalistic*) विचारधारा को जैसा संरक्षण दिया था, उसका स्वाभाविक परिणाम था 20वीं शताब्दी में फासीवाद व नाजीवाद का उदय। फासीवाद एकसंस्कृतिवाद (*Monoculturalism*) का चरम स्तर है। जहाँ अन्य समूहों को अपनी संस्कृति में आत्मसात् करने के स्थान पर उन्हें सामूहिक नरसंहार (*Genocide*) के माध्यम से समाप्त ही कर दिया जाता है। इसकी प्रतिक्रिया में राजनीति-दर्शन में बहुलवादी विचारधारा पनपी जिसने समाज के स्तर पर भी बहुलकवाद की पृष्ठभूमि बनाई। सन् 1960 के बाद तीव्रता से भूमंडलीकरण बढ़ा और श्रम के मुक्त संचरण के कारण पश्चिमी देशों में विभिन्न सांस्कृतिक समूहों की उपस्थिति बढ़ने लगी। इससे पश्चिमी देशों की सांस्कृतिक एकरूपता भंग हुई। चूँकि मानवाधिकार व लोकतंत्र जैसे मूल्य दुनिया भर में फैल चुके थे, अतः अब यह संभव नहीं था कि सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों का दमन किया जा सके। इसके अतिरिक्त इन सभी देशों में सक्रिय वामपंथी दल बहुसंस्कृतिवाद को एकसंस्कृतिवाद से बेहतर मानते थे। अतः सन् 1970 के बाद पश्चिम के कई देशों ने बहुसंस्कृतिवाद (*Multiculturalism*) की नीति को अपनाया।

भीखू पारिख के शब्दों में सांस्कृतिक विविधता हृदय में होती है। वास्तव में मानवीय स्वाभाव और संस्कृति का प्रतिबिंबन (अंतरमेल) है। यद्यपि मानवजाति/समाज प्राकृतिक प्राणी हैं, जो प्राणियों बौद्धिक एवं मानसिक संरचना से संबंध रखती है। उसकी संस्कृति निर्मित है, और उसके चरित्र व्यवहार, जीवन जीने के तरीके और जिस समाज में वह रहता है, उससे बनता है।

सन् 1980 और 90 के दशक में बहुसंस्कृतिवाद अपन चरम पर था। 21वीं शताब्दी के पहले दशक में कई देशों ने बहुसंस्कृतिवाद की औपचारिक नीति से अपने आपको अलग करना आरंभ किया और इसके स्थान पर नागरिक एकीकरण की नीति को अपनाया। विशेष रूप से यह परिवर्तन आव्रजन नीति में किया गया। इसके बहुत से कारण थे, जिसमें सामान्य जनता का बहुसंस्कृतिवादी नीतियों के प्रति उत्साहपूर्वक समर्थन भी नहीं मिलता। इन नीतियों में शामिल था, सामाजिक और आर्थिक विकास की संभावनाएं नहीं होना तथा उदारवादी राज्य के द्वारा अपने सभी नागरिकों को न्यूनतम उदारवादी मूल्यों को मानने पर बल देना। इस कारण आस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और ब्रिटेन जैसे – देशों में बहुसंस्कृतिवाद को नियंत्रित किया गया और नागरिक एकीकरण पर बल दिया गया। विल किमिलिका भी यह स्वीकार करता है कि, कनाडा की बहुसंस्कृतिवाद की आलोचना भी की जा रही है, क्योंकि विश्व भर में बहुसंस्कृतिवाद आलोचना के घेरे में है और इसका प्रमुख विरोध इस बात के लिए हो रहा है कि, इस बहुसंस्कृतिवाद की नीति को क्रियान्वित करने से अल्पसंख्यकों के अलगाववाद और वैश्वीकरण की प्रक्रिया बढ़ रही है। आस्ट्रेलिया में सन् 1978 में गालबेली रिपोर्ट के द्वारा बहुसंस्कृतिवाद को मान्यता

प्रदान की गयी। इसके अनुसार एक बहुसंस्कृतिवाद समाज के विकास का लाभ सभी आस्ट्रेलियाई नागरिकों को मिलने पर बल दिया गया। लेकिन सन् 1988 की फिट्जरैल्ड रिपोर्ट द्वारा आब्रजन नीति में संशोधन करने का सुझाव दिया गया और बहुसंस्कृतिवाद को आस्ट्रेलिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण न मानकर बहुत सी अन्य विशेषताओं जैसे – प्रजातंत्र इत्यादि के साथ एक विशेषता माना गया है।

बहुसंस्कृतिवाद की अवधारणा उनके साथ जुड़े अन्य सिद्धान्त समकालीन जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। बहुसंस्कृतिवाद समाज में भेदभाव के प्रमुख मुद्दे को, विशेषकर अल्पसंख्यकों जैसी सीमांतरीय सांस्कृतिक समुदायों के संदर्भ में, संबंधित करता है। इसलिए बहुसंस्कृतिवाद समूह विशिष्ट अधिकारों पर जोर देता है। यह अल्पसंख्यक संस्कृति की सुरक्षा व पोषण के लिए सामाजिक/संस्थागत व्यवस्थाओं पर जोर देता है।

### संदर्भ ग्रंथ सूची

1. चंद्र, विपिन : भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, नई दिल्ली 2008, पृष्ठ 75
2. चौधरी, बासुकी नाथ, कुमार युवराज : भारतीय शासन एवं राजनीति, ओरियंट ब्लैकस्वान, नई दिल्ली, वर्ष 2011, पृष्ठ 405
3. सिंह, शशि श्याम : सामाजिक विज्ञान हिंदी विश्वकोष, किताब घर प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली 2003 पृष्ठ 194
4. घुरिये, जी. एस. : जाति, वर्ग और समुदाय, राजपाल एंड संस, दरियागंज नई दिल्ली, 1781, पृष्ठ 192
5. पांडेय, वी.के. भारतीय संस्कृति एवं मानवाधिकार शारदा पुस्तक भवन, यूनिवर्सिटी रोड, इलाहाबाद, 2009, पृष्ठ 165
6. दिनकर, रामधारी सिंह : संस्कृति के चार अध्याय, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 2015, पृष्ठ 263
7. गुप्ता, शिवकुमार, प्राचीन भारत का इतिहास, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, पृष्ठ 54–55
8. राज किशोर : हिंसा की सभ्यता, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2008, पृष्ठ 61
9. Omvedt, Gail : Anti Case Movement & The discouse of Pow in G- sana (ed) easte and democratic politics in india, orientht Black swan, 2002, P.40